

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF DEFENCE ORDNANCE FACTORY BOARD

AYUDH BHAVAN

10-A, SHAHEED KHUDIRAM BOSE ROAD KOLKATA-700 001



TEL: (033) 22485077-80

FAX:(033) 22487822

288/RR/SRO/Supervisor/Per/NI

Date 06/02/2019

To

The Sr. General Manager / General Manager All Ordnance & Ordnance Equipment Factories

Sub: Framing of SRO in respect of Supervisor (Stores) and Store Keeper (Group 'C' Non-industrial Cadre) in Ordnance and Ordnance Equipment Factories and other offices and establishments in Ordnance Factories Organisation.

Please find enclosed herewith a copy of Gazette Notification vide notifying publication of SRO 41 dated 23rd May, 2018 for the post of Supervisor (Stores) and Store Keeper (Group 'C' Non-industrial Cadre) in terms of the instructions contained in DoPT OM No. AB-14017/61/2008-Estt(RR) dated 27.02.2015, the notified recruitment Rules for the post(s) mentioned as above of earlier SRO related to the above posts circulated for information and necessary action please.

Kindly acknowledge receipt.

Encl.: Copy of SRO 41 Dated 23rd May, 2018.

H.K.Paikra) DIR/IR

For Director General, Ordnance Factories

Copy to :-

- 1. Chairman's Sectt., OFB Kolkata.
- 2. All Members, OFB Kolkata.
- 3. The Addl. DGOF/AV Hqrs. Avadi.
- 4. The Addl. DGOF/OEF Hgrs, Kanpur.
- 5. Sr. Principal Director, NADP, Ambajhari.
- 6. Principal Director /OFILs, RCSs, RMCs & OFRC.
- 7. Principal Controller of Accounts (Fys), Kolkata
- 8. Section : Per/NG, Per/Policy and Per/IR.
- 9. All Staff side Members of JCM-III level.
- 10. Instruction File.



प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 13]

नई दिल्ली, जून 10—जून 16, 2018, शनिवार/ज्येष्ठ 20—ज्येष्ठ 26, 1940

No. 13]

NEW DELHI, JUNE 10—JUNE 16, 2018, SATURDAY/JYAISTHA 20—JYAISTHA 26, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 मई, 2018

- का.नि.आ. 41.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आर्डनेंस कारखाना पर्यवेक्षक (भंडार) और भंडारी (समूह 'ग' अनौद्योगिक कॉडर) (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—
- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आर्डनेंस कारखाना-पर्यवेक्षक (भंडार) और भंडारी (समूह 'ग' अनौद्योगिक कॉडर) (भर्ती और सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियम, 2018 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. आर्डनेंस कारखाना-पर्यवेक्षक (भंडार) और भंडारी (समूह 'ग' अनौद्योगिक कॉडर) (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2012 में,
 - (1) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—
 - "3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।",
 - (2) अनुसूची में,-

3130 GI/2018

- (क) पर्यवेक्षक (भंडार) के पद संबंधी क्र.सं. 1 के सामने,—
 - (i) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :—

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर	
(4)	
स्तर-4	
(25500-81100 रुपए)'';	

- (ii) स्तंभ (11) में, ''वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपए और ग्रेड वेतन 1900 रुपए'' प्रविष्टियों के स्थान पर ''वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रुपए)'' प्रविष्टियां रखी जाएंगी ।
- (ख) भंडारी के पद संबंधी क्र.सं. 2 के सामने.-
 - (i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :—

''स्तर-2 (19900-63200 रुपए)'';

- (ii) स्तंभ (10) में "ग्रेड वेतन 1800 रुपए" प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रुपए)" प्रविष्टियां रखी जाएगी :
- (iii) स्तंभ (11) में ''ग्रेड वेतन 1800 रुपए'' प्रविष्टियों के स्थान पर ''वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रुपए)'' प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

[फा.सं. 41(6)/2018-डी(स्था./एनजी)]

संजय रावत, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं.का.नि.आ.109, तारीख 04 दिसंबर, 2012 द्वारा जारी किए गए थे और भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 4, तारीख 16-22 दिसंबर, 2012 में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 23rd May, 2018

- **S.R.O. 41.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ordnance Factories, Supervisor (Stores) and Store Keeper (Group 'C' Non-industrial Cadre) (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2012, namely .-
- 1. (1) These rules may be called the Ordnance Factories, Supervisor (Stores) and Store Keeper (Group 'C' Non-industrial Cadre) (Recruitment and Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Ordnance Factories, Supervisor (Stores) and Store Keeper (Group 'C' Non-industrial Cadre) (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2012, -

- (1) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-
 - "3. Number of posts, classification and level in the pay matrix. The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.";
- (2) in the Schedule,-
 - (a) against serial number 1, relating to the post of Supervisor (Stores),-
 - (i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

"Level in pay matrix	
(4)	
Level- 4	
(Rs. 25500-81100)";	

- (ii) in column (11), for the entries "the pay band-1, Rs.5,200-20,200 plus grade pay Rs. 1900", the entries "level 2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix" shall be substituted.
- (b) against serial number 2, relating to the post of Store Keeper,-
 - (i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely :-

- (ii) in column (10), for the entries "grade pay of Rs, 1,800", the entries "level 1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix" shall be substituted;
- (iii) in column (11), for the entries "grade pay of Rs. 1,800", the entries "level 1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix" shall be substituted.

[F.No. 41(6)/2018-D(Estt./NG)]

SANJAY RAWAT, Under Secy.

Foot note: The Principal rules were issued vide notification number S.R.O. 109, dated the 4th December, 2012 and published in the Gazette of India, Part-II section 4, dated December 16-December 22, 2012.

नई दिल्ली, 11 जून, 2018

का.नि.आ. 42.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेना समूह 'ग' (रसोइया/रसोइया विशेष श्रेणी-I) भर्त्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना समूह 'ग' (रसोइया/रसोइया विशेष श्रेणी-I) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. सेना समूह 'ग' (रसोइया/रसोइया विशेष श्रेणी-I) भर्त्ती नियम, 2011 में,:-
 - (i) नियम-2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
 - "2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।"